(3) संविदा कर्मियों हेतु नियम :-

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के संदर्भ में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों , म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियो को नियमित पदो पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते है, संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियो का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

3.1 विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों /कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुन: लाभ की पात्रता नहीं होगी ।

3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-

3.2.1 विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो । संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरूद्ध आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

3.2.2 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो ।

3.3 यदि किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार नियमित पद से समकक्षता निर्धारण के पश्चात 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो।

3.4 अगर किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुन: उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी ।

3.5 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जिसके लिए वह इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार नियमित पद के समकक्षता एवं अर्हता रखता हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है, उसी विभाग में उसे नियमित नियुक्ति के अवसर दिए जाएं।

3.6 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

3.7 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए इस प्रकार आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जायेगा, जिसके लिए नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में नियम बनाये जाकर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा।

3.8 संविदा अधिकारी/कर्मचारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है । ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी । आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी/कर्मचारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। विभाग स्तर पर समकक्षता स्तर की कार्यवाही इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार होगी।

3.9 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी/कर्मचारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. सी-5-2/2018/1-3(पार्ट फाईल), दिनांक 18/10/2022 के अनुसार संविदा अधिकारी/कर्मचारी हेतु आरक्षित पदों पर होरिजेंटल आरक्षण लागू होता है। अत: पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।